प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 02.03.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा बस अनियंत्रित होकर पलट जाने के कारण दुर्घटना में घायल 07 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बुद्धाकला से कालर द्वारा बस अनियंत्रित होकर पलट जाने के कारण दुर्घटना में घायल 07 व्यक्तियों (01.विशाल पुत्र धर्मेन्द्र निवासी नहसापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरगनर 02. प्रदीप चतुर्वेदी पुत्र सुरत नारायण निवासी बेतिहाता जनपद गोरखपुर 03.यशस्वी चतुर्वेदी पुत्र प्रशान्त निवासी बेतिहाता जनपद गोरखपुर 04.नीरज कुमार पुत्र रामाश्रय प्रसाद निवासी इंजीनियरिंग कालेज जनपद गोरखपुर 05.बन्दना श्रीवास्तव पत्नी सत्यप्रकाश निवासी रुसमपुर जनपद गोरखपुर 06.स्वाती उपाध्याय पुत्री विनायक निवासी ग्रीनसिटी जनपद गोरखपुर 07.सुधाकर त्रिपाठी पुत्र अशोक निवासी कसया जनपद गोरखपुर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- मु0का0 गौतम कुमार, का0 बबलू कुमार यादव, मु0आ0चा0 राजन प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 234 वाहनों से 283,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 02.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 234 वाहनों से 283,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना दुधारा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित पच्चीस हजार रुपये (25,000 रु0) के इनामियां अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 805/2025 धारा 2(b)(i), (xi), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) से संबंधित पच्चीस हजार रुपये (25,000 रु0) के इनामियां अपराधी अतुल पाण्डेय पुत्र ओमकारनाथ पाण्डेय निवासी बरवा कला थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज को पिपरा बोरिंग चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण:

अतुल पाण्डेय पुत्र ओमकारनाथ पाण्डेय निवासी बरवा कला थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0 354/2025 धारा 305(ए),317(2),317(4),331(4) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 383/2025 धारा 112/313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 72/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिन्दुरिया जिला महराजगंज।
4. मु0अ0सं0 18/2021 धारा 379,411 बीएनएस थाना कोठीभार जिला महाराजगंज।

05.मु0अ0सं0 805/2025 धारा 2(b)(i), (xi),3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवा0 अधि0 1986 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

प्रभारी निरीक्षक अरविन्द शर्मा (थाना दुधारा), उ0नि0 प्रदीप सिंह, का0 अनुज कुमार सिंह, का0 सुमित राय, का0 रंजन कुमार सिंह, हे0का0 चालक प्रमोद कुमार सिंह

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस/संबंधित विभाग द्वारा अवैध शराब बनाने के 07 कुंतल लहन किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के कुशल निर्देशन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण में आगामी त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सघन चेकिंग एवं तलाशी अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान उप आबकारी आयुक्त श्री सत्य प्रकाश पांडे, सहायक आबकारी आयुक्त श्री कृपा शंकर चौधरी बस्ती परिक्षेत्र बस्ती, प्रवर्तन दल बस्ती श्री निरीक्षक मोहम्मद गफ्फार खान, निरीक्षक श्री कंदर्प सिंह, आबकारी निरीक्षक श्री विजय आनंद खलीलाबाद, आबकारी निरीक्षक श्री बसंत प्रसाद,आबकारी निरीक्षक श्री राजकिशोर पटेल तथा चौकी प्रभारी लोहरैया उप0 नि0 हरिकेश भारती मय पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से ग्राम घोरांग में अवैध कच्ची शराब निष्कर्षण व बिक्री की रोकथाम के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान बांस की खूटियों व झाड़ियों में जमीन के अंदर छुपाए गए भारी मात्रा में लहन लगभग 07 कुंतल व लहन बनाने के पात्रों (बर्त्तनों) बरामद कर मौके पर ही नष्ट किया गया। बरामद लहन को नियमानुसार मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, ताकि अवैध शराब निर्माण पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके।

इस कार्रवाई के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी मौके पर उपस्थित रहे तथा पूरी प्रक्रिया को विधि सम्मत ढंग से संपन्न कराया गया। पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

संतकबीरनगर पुलिस आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* मु0अ0सं0 46/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता आशीष पुत्र राम लौटन चौरसिया निवासी मुड़िला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को कठिनईया नदी पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 09.02.2026 को थाना दुधारा पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 02.03.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, का0 अनुज कुमार, का0 सुमित राय, म0हे0का0 चांदनी सिंह।

थाना महुली पुलिस की सक्रियता से गायब मोबाइल मिली, पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान

आज दिनाँक 02.03.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश पाण्डेय* के नेतृत्व में थाना महुली पुलिस की तत्परता एवं सक्रिय कार्यवाही के फलस्वरूप एक व्यक्ति के गायब मोबाइल फोन बरामद कर उसे सुपुर्द किया गया, जिससे उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। पीड़ित खुर्शीद आलम पुत्र मुख्तार आलम निवासी ग्राम छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर का मोबाइल फोन गुम हो गया था, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल थाना महुली पर दी। सूचना प्राप्त होते ही थाना महुली की साइबर टीम द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन की ट्रैकिंग प्रारंभ की गई। साइबर टीम के सतत प्रयास एवं तकनीकी सहयोग से उक्त मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक बरामद कर पीड़ित खुर्शीद आलम को थाना बुलाकर उनका मोबाइल फोन सुपुर्द किया गया। अपना खोया मोबाइल वापस पाकर मोबाइल स्वामी द्वारा थाना महुली पुलिस का आभार व्यक्त किया गया तथा पुलिस की कार्यशैली की सराहना की गई।

थाना महुली पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में तत्काल नजदीकी थाना पर सूचना दें, जिससे CEIR पोर्टल के माध्यम से समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।